

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 37/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	---	--

<p>05.03.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.10.19 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प3(146)राजस्व-7(2011 जयपुर दिनांक 05.07.2012 की पालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में तहसील लूणी जिला जोधपुर के क्षेत्राधिकार में वाटर बोर्डिंग केचमेंट क्षेत्र में आबंटन निरस्त हेतु रेफरेंस तहसील लूणी के कितने व्यक्तियों/ संस्थाओं के भिजवाये गये कि नियमानुसार प्रमाणित सूचि उपलब्ध , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	
-----------------	--	--